न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 18 / 2015

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां, जिला–बारां (राज0) (प्रार्थी)

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड, निवासी कोटा रोड बारां –मृतक
   1/1. लोकेश कुमार
   1/2. योगेश कुमार पुत्रगण सोहनलाल
   1/3. बिदिंया
   1/4. रजनी पुत्रियां सोहनलाल
   1/5. कमलेशबाई बेवा सोहनलाल जाति धाकड़, निवासीगण मकान नं. 2 एम 21 बरथूनिया हॉस्पिटल के पीछे, कोटा
2. रामचन्द्र पुत्र चतुर्भुज, जाति तेली, निवासी कोटा रोड बारां, तहसील बारां, जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

आदेश दिनांक– 21.12.2022

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज0)

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि माल नलका तहसील बारां में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2067–70 आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है., किस्म माल I अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है. ग्राम नलका तहसील बारां के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–57 साबिक खसरा नंबर 379/426 मि. थे। साबिक खसरा नंबर 379/426 मि. मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त संवत 2015–24 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै.मु. तलाई बिलानाम काबिल काश्त खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा नं. 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई के हाल खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है., माल I कायम किये जाकर आराजी खसरा नंबर 426 रकबा 0.82 तथा 427 रकबा 2.57 है. के साथ साथ अवैधानिक रूप से मोतीलाल वल्द हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बारां हि. 1/2 एवं गजानन्द वल्द भूरालाल जाति नायक निवासी बारां हि. 1/2 के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो मुताबिक जमाबंदी संवत 2067–70 वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये है।

जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान

जनता सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय के पेश हुए कि माल नलका तहसील बारां में हुये सम्वत् 2015 से 2024 के सेटलमेन्ट की पूर्व साबिक खसरा नंबर 309 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा आराजी गै.मु. तलाई राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। परन्तु भौतिक रूप से उक्त आराजी मौके पर समतल भूमि थी। बन्दोबश्त कार्यवाही के दौरान बन्दोबश्त टीम ने उक्त आराजी का मौका मौजूदा किस्म अुनसार दर्ज न कर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार साबिक खसरा नंबर 309 रकबा 14 बीघा 13 बीस्वा आराजी के नवीन खसरा नंबर 380 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नंबर 379/426 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा कायम किये। सम्वत् 2023–26 की जमाबंदी में खसरा नंबर 379/426 आराजी को मौजूदा भौतिक स्थिति अनुरूप कृषि के लिये उपलब्ध भूमि दर्ज कर उक्त आराजी में से नामान्तकरण संख्या 99 से खसरा नंबर 399 रकबा 21 बीघा 6 बीस्वा आराजी को तलाई से बंजड में दर्ज कर खसरा नंबर 399 की 21 बीघा 6 बीस्वा व खसरा नंबर 379/426 रकबा 6 बिस्वा आराजी मोतीलाल पुत्र हीरालाल धाकड व गजानन्द पुत्र भूरालाल नायक को आवंटन हुई और नामान्तकरण सख्या 100 व 130 से उक्त आराजियात आवंटियों के नाम समभाग खातेदारी में दर्ज हुई। तब से उक्त आराजियात लगातार काश्त होती रही इस पर खसरा नंबर 399 रकबा 21 बीघा 6 बीस्वा आराजी नामान्तकरण सख्या 179 दिनांक 01.02.1978 व खसरा नंबर 379/426 रकबा 6 बीघा आराजी नामान्तकरण संख्या 186 दिनांक 20.11.1978 से आवंटियों मोतीलाल व गजानन्द के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी में संयुक्त खाते दर्ज है। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 204 विभाजन डिक्री अनुसार खसरा नंबर 399 रकबा 10 बीघा 6 बीस्वा आराजी मोतीलाल व खसरा नंबर 399 रकबा 11 बीघा व खसरा नंबर 379/426 रकबा 6 बीघा आराजी गजानन्द के नाम पृथक खातेदारी मे दर्ज हुई। बन्दोबश्त 2038–57 में आरजाी साबिक खसरा नंबर 379/426 रकबा 13 बीघा 6 बीस्वा आराजी के नये खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है. गजानन्द के नाम खसरा नंबर 405/487 रकबा 1.41 है. राजकीय प्रयोजनार्थ आरक्षित सिवायचक दर्ज हुई। हाल खसरा नबर 405 रकबा 1.04 है. आराजी के खातेदार गजानन्द से किशनलाल पुत्र मोतीलाल धाकड की खातेदारी में दर्ज हुई। खातेदार किशनलाल ने उक्त आराजियात खसरा नंबर 405 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2006 से सोहनलाल पुत्र मोतीलाल धाकड व रामचन्द्र राठौर पुत्र चतुर्भुज राठौर जाति तेली निवासी बारां को 1.04 है. आराजी 18,20,000/– रूपये में बेचान की। अप्रार्थीगण ने उक्त आराजी सघन आबादी क्षेत्र में मध्य आ जाने से उक्त आराजियात को आवासीय भू उपयोग हेतु 88 आवासीय भूखण्डो की एक आवासीय कॉलोनी शिव शक्ति नगर के नाम से निर्मित कर उक्त भूखण्डो को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं इकरारनामों से बेचान कर दिया। हाल खसरा नंबर 405/487 रकबा 1.41 है. आराजी पर रा[illegible] सरकार के बजट से स्टेडियम बना हुआ है। जिसकी चारो ओर पक्की बाउन्ड्री बनी हु[illegible]। [illegible] क्षेत्र में तरणताल, बास्केटबाल का कोर्ट एवं बॉलीबाल का फील्ड [illegible] और हाल खसरा नंबर 405 के 88 भूखण्ड है। शिव शक्ति नग[illegible] शिव शक्ति नगर के पश्चिमी कोने पर सहकार भवन, पूर्वी ओर कृष्णा नगर, दक्षिणी ओर स[illegible]बाबा मन्दिर व पश्चिमी ओर पुलिस लाईन रोड स्थित है। खसरा नंबर 405 की आराजी भौतिक रूप से कभी भी तलाई नही रही, समतल भूमि के रूप में स्थित रही है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 405 के साबिक खसरा नंबर 379/426

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि किस्म के परिवर्तन हुये राजस्व रेकार्ड एवं उक्त आराजियात की तत्समय की मौजूदा स्थिति एवं भू उपयोग की पूर्ण जांच पड़ताल किये बिना ही पुराने रिकॉर्ड के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जो विधितः संधारणीय नही होने से निरस्तनीय है। प्रकृति परिवर्तनशील है, थल व जल की भौगोलिक स्थितियां सदैव परिवर्तनीय रही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

3— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम नलका तहसील मांगरोल में जमाबंदी सम्वत् 2067—70 आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है., किस्म किस्म माल I अप्रार्थीगण खाते दर्ज है। आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2038—57 ग्राम नलका तहसील बारां के साबिक खसरा नंबर 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा से कायम हुए हैं। मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2019—2024 के अनुसार ग्राम नलका में साबिक खसरा नं. 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। दौराने सेटलमेन्ट कार्य बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी साबिक खसरा साबिक खसरा नं. 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा के हाल खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है., माल I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से मोतीलाल वल्द हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बारां हि. 1/2 एवं गजानन्द वल्द भूरालाल जाति नायक निवासी बारां हि. 1/2 के खातेदारी में दर्ज कर दी है, तथा वर्तमान में उक्त आराजी मुताबिक जमाबंदी संवत 2067—70 अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा—16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत गै0मु0 तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त आवंटन/नियमन को शून्य घोषित कर भूमि पूर्ववत गै0मु0 तलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

4— अभिभाषक अप्रार्थी ने पेरोकार सरकार के उक्त कथन का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी विवादित आराजी समतल भूमि है। मौके पर कोई तलाई नहीं है। उक्त आरजी खातेदार गजानन्द से किशनलाल पुत्र मोतीलाल धाकड की खातेदारी दर्ज हुई। खातेदार किशनलाल ने उक्त आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.08.2006 से सोहनलाल पुत्र मोतीलाल धाकड व रामचन्द्र पुत्र चतुर्भुज, जाति तेली, निवासी बारां को बेचान की है। अतः उक्त आराजी अप्रार्थीगण द्वारा खातेदार किशनलाल पुत्र मोतीलाल जाति धाकड निवासी कोटा रोड, बारां से प्रतिफल अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। अतः रेफरेंस खारिज फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अप्रार्थी ने विधि दृष्टांत आर.बी.जे. 2021 पेज नं. 50 (एचसी), एल्ट्राटेक सिमेन्ट लि0 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 24.02.2016, आरबीजे 2017 पेज नं 504 [illegible] निर्णय दिनांक 28.06.2017, आरबीजे 2017 पेज नं 645 सरकार बनाम अलीशे[illegible] दिनांक 13.10.2017, आरबीजे 2018 (एचसी) पेज नं. 225 सुखदेव बना[illegible] ऑफ [illegible] 01.12.2017, आरबीजे 2017 (एचसी) पेज नं 76 गोपारा[illegible] ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 04.10.2016, आर.बीजे. 2016 (एचसी) पेज नं 418 रामकरण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान निर्णय दिनांक 17.11.2015 की छायाप्रतियां पेश कर रेफरेंस प्रा[illegible] पर निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज.)

जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested

5– हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि ग्राम नलका की जमाबंदी सम्वत् 2067–70 आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है., किस्म ~~किस्म~~ माल I अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। नलका की आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–57 उक्त आराजी साबिक खसरा नंबर 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा से कायम हुए हैं। साबिक खसरा नंबर 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा मुताबिक सेटलमेन्ट जमाबन्दी सम्वत 2015–24 किस्म गै0मु0 तलाई दर्ज रिकार्ड है। बन्दोबस्त संवत 2038–57 में ग्राम नलका की उक्त आराजी के हाल खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है., माल I कायम किये जाकर अवैधानिक रूप से मोतीलाल वल्द हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बारां हि. 1/2 एवं गजानन्द वल्द भूरालाल जाति नायक निवासी बारां हि. 1/2, निवासी बारां के खातेदारी में दर्ज कर दी है, जो भू. राजस्व अधिनियम की धारा 88 के प्रावधानों के विपरित तथा अवैधानिक है। इस प्रकार जिस वक्त भूमि आवंटित/नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै0मु0 तलाई खाता सरकार दर्ज थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। मोतीलाल वल्द हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बारां हि. 1/2 एवं गजानन्द वल्द भूरालाल जाति नायक निवासी बारां हि. 1/2 को उक्त आराजी का आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6– परिणामस्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम नलका में खातेदारी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.04 है. किस्म माल–I को जो मूल रूप से सेटलमेन्ट पूर्व साबिक खसरा नंबर 379/426 मि. रकबा 13 बीघा 6 किस्म गै0मु0 तलाई से बना है, जिसका मोतीलाल वल्द हीरालाल, जाति धाकड, निवासी बारां हि. 1/2 एवं गजानन्द वल्द भूरालाल जाति नायक निवासी बारां हि. 1/2 को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

7– तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटित आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण [illegible] जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित [illegible]

आदेश आज [illegible] जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.01.03 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)